न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 58/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

मनीष वैनीवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

......वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर
2. अंकिता पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार नाबालिंग जरिये कुदरती वली पिता सुरेन्द्र कुमार <u>कौम जाट निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)</u>
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....प्रतियादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी–1,2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

दिनांक– 13.08.2020

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार, वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन है। चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 83/31 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 15 की 0.253 है.नहरी, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11 ता 15 (प्रत्येक में 0.253 है.), 16(0.050 है.), 17(0.215 है.), 18 ता 22 (प्रत्येक में 0.253 है.), 23(0.139 है.), 24(0.012 है.)= 2.946 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 6/1(0.227 है.), 6/2(0.026 है.), 14(0.253 है.), 15/1(0.228 है.), 15/2(0.025 है. खाला), 16/1(0.228 है.), 16/2(0.025 है.खाला), 17(0.253 है.) = 1.189 है. नहरी मय खाला कुल 4.464 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी बृजलाल पुत्र हजारीराम के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन

Scanned with CamScanner

नामान्तरण संख्या 271 दिनांक 21/07/2009 के द्वारा विरास्त में प्राप्त हुई है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 3 क्यू के खाता संख्या 83/31 के जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के एक पुत्र (मनीष बैनीवाल (वादी)) है तथा एक पुत्री (अंकिता (प्रतिवादी संख्या 2) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
मनीष बैनीवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 83/31 के मुरब्बा नम्बर 23, 51, 52 की कुल 4.464 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 6/1(0.227 है.), 6/2(0.026 है.खाला), 14(0.253 है.), 15/1 (0.228 है.),15/2(0.025 है. खाला), 16/1(0.228 है.), 16/2 (0.025 है.खाला), 17(0.253 है.) =1.189 है. नहरी मय खाला
सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 83/31 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 15 की 0.253 है.नहरी, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11 ता 15 (प्रत्येक में 0.253 है.), 16(0.050 है.), 17(0.215 है.), 18 ता 22 (प्रत्येक में 0.253 है.), 23(0.139 है.), 24(0.012 है.) = 2.946 है.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है । प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 31/01/2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क किया तो उन द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद पत्र पेश कर विभाजन घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने निवेदन किया :-

(क) कि प्रतिवादी सं. 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल के नाम दर्ज चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 83/31 के मुरब्बा नम्बर 23, 51, 52 की कुल 4.464 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 6/1(0.227 है.), 6/2(0.026 है.खाला), 14(0.253 है.), 15/1(0.228 है),15/2 (0.025 है. खाला), 16/1(0.228 है.), 16/2(0.025 है.खाला), 17(0.253 है.)=1.189 है. नहरी मय खाला घोषित किया जावे

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग-अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा दिनांक 11.08.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी सं. 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल के नाम दर्ज चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 83/31 के मुरब्बा नम्बर 23, 51, 52 की कुल 4.464 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 6/1(0.227 है), 6/2(0.026 है.खाला), 14(0.253 है.), 15/1(0.228 है.),15/2 (0.025 है. खाला), 16/1(0.228 है.), 16/2(0.025 है.खाला), 17(0.253 है.)=1.189 है. नहरी मय खाला वादी मनीष बैनीवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बंटवारा में दी हुई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 83/31 के मुरब्बा नम्बर 23, 51, 52 की कुल 4.464 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 6/1(0.227 है.), 6/2(0.026 है.खाला), 14(0.253 है.), 15/1(0.228 है.), 15/2 (0.025 है. खाला), 16/1(0.228 है.), 16/2(0.025 है.खाला), 17(0.253 है)= .189 है. नहरी मय खाला जमाबन्दी मुताबिक की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर

Scanned with CamScanner

दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 3 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 83/31 में पेश की। वादी द्वारा अपने दादा श्री बृजलाल पुत्र श्री हजारी के नाम जमाबंदी ग्राम 3 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 271/34 विरास्तन इन्तकाल की फोटो प्रतियां पेश की। जिनका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः पक्षकारान के मध्य राजीनानमा होने से राजीनामा के आधार पर वादी को चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 83/31 के मुरब्बा नम्बर 23, 51, 52 की कुल 4.464 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 6/1(0. 227 है.), 6/2(0.026 है.खाला), 14(0.253 है.), 15/1(0.228 है.), 15/2 (0.025 है. खाला), 16/1(0.228 है.), 16/2(0.025 है.खाला), 17(0.253 है.)=1.189 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

अनवान मनीष बैनीवाल बनाम सुरेन्द्र कुमार
वाद मुकदमा नं. 58/2020

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13.08.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम
सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

Scanned with CamScanner